स्कॉटलैंड में रह रहे परिवारों के लिए जानकारी

Dumfries And Galloway Child Protection Committee

PROTECTING CHILDREN TOGETHER

बच्चों की देखभाल करना: स्कॉटलैंड में रह रहे परिवारों के लिए जानकारी

यह पत्रिका आपको बच्चों और युवाओं की रक्षा करने और देखभाल करने के बारे में स्कॉटलैंड के क़ानूनों के बारे में बताती है। यह आपको इस बारे में भी बताती है कि बच्चों की देखभाल करने वाले व्यस्कों से क्या उम्मीद की जाती है।

स्कॉटलैंड में, क़ानून कहता है कि माता-पिता को ज़रूरी तौर पर:

- अपने बच्चों के सामान्य कल्याण, स्वास्थ्य और पूर्ण विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए और
- उनकी नुकसान से रक्षा करनी चाहिए

किसी बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति यह निश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार है कि बच्चा हर समय सुरक्षित और ठीक रहे।

क़ानून

स्कॉटलैंड में, सामान्य शब्दों में, बच्चा 16 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति होता है।

स्कॉटलैंड में बच्चों और युवाओं पर क़ानून इन सिद्धांतों पर आधारित है कि:

- बच्चे का कल्याण सबसे पहले आता है
- सभी बच्चों को अधिकार है कि उनकी सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण से रक्षा की जाए
- आम तौर पर माता-पिता को अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए

स्कॉटलैंड में बहुत से अलग-अलग क़ानून हैं, जिन्हें यह निश्चित करने के लिए बनाया गया है कि बच्चों और किशोरों की रक्षा और देखभाल सही ढंग से की जाए। इन क़ानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ज़िम्मेदार है, लेकिन यह निश्चित करने में सभी एजेंसियों और सार्वजनिक संगठनों की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि इन क़ानूनों को तोड़ा नहीं जाए। हम यह भी मानते हैं कि यह निश्चित करना हर एक व्यक्ति का काम है, चाहे वे माता-पिता हों या आम जनता, कि बच्चे और युवा सुरक्षित हों।

बच्चों को शारीरिक दंड

स्कॉटलैंड में क़ानून ऐसे किसी भी दंड से बच्चों की रक्षा करता है:

- जो बहुत ज़्यादा कठोर हो
- जिसमें बहुत ज़्यादा बल शामिल हो
- जो उन्हें नुकसान पहुँचाता हो

आपको अपने बच्चों को ऐसे तरीकों से अनुशासित नहीं करना चाहिए जिनमें उन्हें मारना या चोट पहुँचाना शामिल हो।
बच्चों को ख़तरनाक तरीके से दंड देना हमारे क़ानूनों के विरुद्ध है जैसे कि:

- झरझोरना
- सिर पर मारना
- बच्चों को "दँड देने" के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना (जैसे कि जूता, छड़ी, चप्पल)

चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसिज़ (बाल रक्षा सेवाएँ) किन्हीं भी ऐसे संकेतों की जाँच-पड़ताल करेगी जिसमें किसी बच्चे के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया है।

स्कॉटलैंड में बच्चों और युवाओं को शारीरिक दंड देने की ये ख़तरनाक किस्में क़ानून के विरुद्ध हैं।

अकेले छोड़ दिए गए बच्चे

आपको कभी भी छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, समय की छोटी अवधि के लिए भी नहीं। यदि अकेला छोड़ दिए जाने के कारण किसी बच्चे को चोट पहुँचती है या उसे नुकसान पहुँचता है तो पुलिस जाँच-पड़ताल करेगी (और यदि कुछ गलत होता है तो क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है)।

अपने बच्चे को हमेशा किसी ऐसे व्यस्क की देखभाल में छोड़ें जिस पर आपको भरोसा हो।

आपको हमेशा निश्चित करना चाहिए कि आपके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति ज़िम्मेदार और भरोसेमंद हो।

अपने बच्चे को कभी भी किसी अजनबी के साथ न छोड़ें।

बच्चे और काम

स्कॉटलैंड में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है। 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी दिन में 2 घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है, सिवाय शनिवार के, जब उन्हें 5 घंटे तक (यदि 15 साल से कम की उम्र हो) या 8 घंटे तक (यदि 15 साल या इससे ज़्यादा की उम्र हो) काम करने की अनुमति होती है।

बच्चे स्कूल के समय में काम नहीं कर सकते हैं और स्कूल शुरू होने से पहले केवल 1 घंटा काम कर सकते हैं। बच्चों को किन्हीं भी औद्योगिक स्थानों (कारखानों और भवन निर्माण की साइटों सहित) में काम करने या किसी भी ऐसे काम में लगने की मनाही है जिससे उनके स्वास्थ्य कल्याण या शिक्षा को संभावित रूप से नुकसान पहुँच सकता हो।

बच्चे और भीख माँगना

स्कॉटलैंड में बच्चों की देखभाल करने वाले माता-पिता और लोगों के लिए बच्चों को भीख माँगने देना गैरक़ानूनी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों से भीख मँगवाना या भीख माँगने की अनुमति देना अपराध है। अर्थ यह है कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए ज़िम्मेदार हैं और यदि वे अपने बच्चों को भीख माँगने की अनुमति देते हैं तो उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है। संभावना है कि यदि आम जनता बच्चों को भीख माँगते हुए देखेगी तो वह पुलिस को बता देंगे।

फीमेल जेनिटल म्युटलेशन (FGM)

निम्नलिखित करना स्कॉटलैंड में एक अपराध है:

- यह ऑपरेशन करना
- यह ऑपरेशन किसी दूसरे देश में करना
- यह ऑपरेशन किसी दूसरे देश में करने की व्यवस्था करना चाहे वहाँ यह क़ानूनी तौर पर मान्य हो।

फीमेल जेनिटल म्युटिलेशन (औरत का जननेंद्रीय अंगच्छेदन) बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इस कारण लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो सकती है। यह मानव अधिकारों के सबसे बुनियादी अधिकार का उल्लंघन करता है और स्कॉटलैंड में गैरक़ानूनी है।

जबरन विवाह

जबरन विवाह स्कॉटलैंड में गैरक़ानूनी है और इसे मानव अधिकारों का दुरुपयोग माना जाता है।
यदि किसी ऐसे अपराध की रिपोर्ट की जाती है जहाँ किसी बच्चे या युवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए बाध्य किया गया है तो पुलिस जाँच-पड़ताल करेगी।

जिन बच्चों का ज़बरदस्ती विवाह किया जाता है या परिणामस्वरूप जिनके साथ भावात्मक, शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी क़ानून द्वारा रक्षा की जाती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसिज़ द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार की जाँच-पड़ताल की जाएगी।

यौन क्रियाकलाप और युवा

स्कॉटलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ व्यस्कों द्वारा यौन संबंध बनाया जाना अपराध है।

युवाओं को संभोग और यौन संबंधों में स्वाभाविक रुचि होती है। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, सहायता और रक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसे स्कॉटलैंड में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं (Education and Health Services in Scotland) द्वारा पहचाना जाता है।

लेकिन, व्यस्कों की यह पहचानने की ज़िम्मेदारी है कि युवाओं के साथ कोई संबंध कब अपमानजनक या शोषणपूर्ण हो सकता है। यदि व्यस्कों को लगे कि यह हो रहा है तो उन्हें प्रतिक्रिया करनी चाहिए और सहायता पेश करनी चाहिए। ऐसे मामलों में व्यस्कों को हमेशा मामले की रिपोर्ट अधिकारियों को करने के बारे में सोचना चाहि ताकि संबंधित युवा की सही ढंग से रक्षा की जा सके।

यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि व्यस्क शायद बच्चों और युवाओं को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से "तैयार करें"। "तैयार करने" का अर्थ है कि व्यस्क किसी बच्चे या युवा से संपर्क करें और दोस्ती करें ताकि वे उनके साथ यौन दुर्व्यवहार कर सकें। यदि आप समझते हैं कि आपके बच्चे या किसी दूसरे बच्चे के साथ इस तरीके से संपर्क किया जा रहा है तो सलाह और सहायता प्राप्त करें तथा हमेशा इसकी रिपोर्ट पुलिस को करें।

आपकी ज़िम्मेदारी

यदि आप माता/पिता या देखभाल देने वाले हैं, तो आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं।

आम तौर पर माता-पिता सरकारी एजेंसियों के शामिल होने की ज़रूरत के बिना अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं। स्कॉटलैंड में यह महत्त्वपूर्ण है कि पारिवारिक जीवन को चलाना आम तौर पर माता-पिता और परिवार के सदस्यों पर छोड़ दिया जाए। हालाँकि, उतना ही महत्त्वपूर्ण यह भी है कि बच्चों और युवाओं की रक्षा करना और उन्हें ठीक रखना हर एक व्यक्ति के लिए प्राथमिकता हो।

यदि इनमें से किसी भी मुद्दे के बारे में आपको कोई सहायता की ज़रूरत हो, तो बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो मदद कर सकती हैं।

उपयोगी टेलिफ़ोन नंबर

आपातकाल
(पुलिस, फ़ायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, कोस्टगार्ड) 999

बाल रक्षा
राष्ट्रीय हैल्पलाईन - 0800 022 3222

घरेलू दुर्व्यवहार
राष्ट्रीय हैल्पलाईन - 0800 027 1234

पीड़ित व्यक्ति के लिए समर्थन
राष्ट्रीय हैल्पलाईन - 0845 603 2000

स्वास्थ्य सेवाएँ
NHS 24 (24 घंटे खुला) - 08454 242424

कमिशन फ़ॉर रेशियल इक्वैलिटी (जातीय समानता के लिए कमिशन)
राष्ट्रीय हैल्पलाईन - 0131 524 2000

पेरेन्ट लाइन (माता-पिता के लिए लाइन)
राष्ट्रीय हैल्पलाईन - 0808 800 2222

चाइल्डलाइन
राष्ट्रीय हैल्पलाईन 0800 1111

उपयोगी प्रकाशन

बच्चे, शारीरिक दंड और क़ानून (Children, Physical Punishment and the Law): स्कॉटलैंड में माता-पिता के लिए गाइड 2003 स्कॉटिश एग्ज़ीक्यूटिव ISBN 0 7559 0898 8
बच्चों और युवाओं की रक्षा करनी: यदि आप किसी बच्चे या युवा के बारे में चिंतित हैं तो मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं 2004 स्कॉटिश एग्ज़ीक्यूटिव

यदि आप किसी बच्चे या युवा की सुरक्षा या कल्याण के बारे में चिंतित हैं तो कृपया निम्नलिखित से संपर्क करे :

स्थानीय नंबर

सोशल सर्विसिज़ 030 3333 3000

कामकाजी समय के बाद सोशल सर्विसिज़ (शाम, वीकेन्ड, राष्ट्रीय छुट्टियाँ) 0800 811 505

पब्लिक प्रोटेक्शन यूनिट (पुलिस) 0845 600 5701

www.dumgal.gov.uk/childprotection

हो सकता है उपरोक्त टेलिफ़ोन नंबरों का जवाब देने वाला स्टाफ़ केवल अंग्रेज़ी बोलता हो।

इस पत्रिका को विकसित करने और इसकी सामग्री साज़ी करने के लिए एडिनबर्ग, लोथियन एण्ड बॉर्डर्ज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ़िस को धन्यवाद के साथ।